बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
नियोजन सूचना

बिहार सरकार के सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी का संविदा के आधार पर नियोजन

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग (मुख्यालय) के लिए कार्यालय परिचारी–01 (एक) रिक्त अनारक्षित पद पर बिहार सरकार से सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

नियोजन की शर्तें:–

1. विज्ञापन की अंतिम तिथि को न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
2. संविदा के आधार पर नियोजन 2 (दो) वर्ष के लिए किया जाएगा तथा चयन प्रथम दो वर्षों के लिए होगी। अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनके सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरान्त की जा सकेगी।
3. किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पद नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।
4. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।
5. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
6. संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त की जा सकेगी अथवा कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनकी संविदा एक माह पूर्व सूचना देकर रद्द की जा सकेगी।
7. कार्यालय परिचारी की नियमित नियुक्ति के उपरांत कार्यालय परिचारी के पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
8. इच्छुक सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी इस आशय का भी शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि सेवाकाल में उनके विरुद्ध कोई आरोप या विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं रहा है।
9. आवेदक की सेवा संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय रही हो।
10. राज्य स्तरीय चयन समिति आवेदक की योग्यता एवं कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए चयन हेतु अनुशंसा करेगी, जो अन्तिम रूप से मान्य होगा।
11. इस विभाग के सेवानिवृत्त कार्यानुभव रखनेवाला अभ्यर्थी को उम्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन में अधिमानता दी जायेगी।
12. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
13. आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा:–
    - (i) योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र।
    - (ii) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र।
    - (iii) संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा निर्गत पेंशन/उपदान के स्वीकृत्यादेश से संबंधित पत्र की प्रति।
    - (iv) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।

14. इच्छुक सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी पूर्ण विवरण निम्नांकित विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ या निबंधित पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–सी० ब्लॉक/211, ऑफिसर्स हॉस्टल, बेली रोड, पटना में जमा करेंगे। आवेदन दिनांक 05.08.2016 के अपराह्न 5:00 बजे तक समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय बेवसाईटः– http://csd.bih.nic.in से भी अपलोड किया जा सकता है :–

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

उम्मीदवार का अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :–
4. स्थायी पता :–
5. पत्राचार का पता :–
6. आवेदक की जन्म एवं सेवानिवृत्ति की तिथि :–
   (जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यता :–
   (सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. आरक्षण कोटि :–
   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
   (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों –को ही अनुमान्य होगा)
9. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं :–
10. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :–
11. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होनेवाले वेतन/पे बैण्ड/महंगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होनेवाले राशि (पेंशन स्वीकृत्यादेश आदेश की छायाप्रति संलग्न करें) :–
12. वर्त्तमान में पेंशन की राशि :–
13. मोबाईल सं० :–

नोट :– आवेदन टंकित कराकर भेजा जा सकता है।

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

10. आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार का पैरवी की स्थिति में नियुक्ति में विचार नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

4/7/16

(रामबिलास पासवान)
निदेशक–सह–अपर सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

\\Dell-pc\e\Ratish- Pankaj (2014)\Lal Babu\Niyajan Hetu Avedan.docx